राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

1] [2

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक म. प. 12.16 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखा गया पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री सचिव : महोदय, मैं श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखे जाने के पूर्व उसकी प्रतियों का वितरण

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर अब रखी गई है जब कि इसकी कापियां पहले ही सबको बांट दी गई।

श्री अध्यक्ष : बहुत से आदेश पहले प्रसारित हो जाते हैं लेकिन सदन की मेज पर बहुत बाद में आते हैं, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

महामहिम राज्यपाल के सदन में प्रवेश के समय अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारियों के कुर्सियों पर बैठे रहने से महामहिम राज्यपाल का अपमान

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : किस प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना आपको दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : मेज पर रखने के बारे में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप धैर्य रखिये, आप इस्तीफा दिये हुए हैं। आप बार–बार बीच में न कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपकी आदत है, इस्तीफा देना, वापस लेना। यह तो आपके जीवन की प्रक्रिया रही है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपकी बात का न मुख्य मन्त्रीजी विश्वास करते हैं, न हम करते हैं और न यह सदन करता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नियम संख्या 157 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की सूचना दी है। विशेषाधिकार का प्रश्न यह है कि आज तक इस सदन की यह परम्परा रही है कि जिस समय राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए सदन में आते हैं, उनके साथ अध्यक्ष महोदय भी आते हैं तो इस सदन के सभी माननीय सदस्य, दर्शक दीर्घा में बैठने वाले अतिथि, राजकीय दीर्घा में बैठे हुए राजकीय अधिकारी सब खड़े होकर माननीय राज्यपाल महोदय और अध्यक्ष महोदय का सम्मान करते हैं। यही सदन की हमेशा की परम्परा रही है। यह पहली बार हमने देखा है कि जिस समय राज्यपाल महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में प्रवेश किया, सरकारी दीर्घा में जो लोग थे, सरकारी अधिकारी, वे अपनी कुसियों पर बैठे रहे। उन्होंने राज्यपाल महोदय और अध्यक्ष महोदय का अपमान ही नहीं किया है, उन्होंने सदन की भी मानहानि की है। उनके नेता राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव भी यहां उपस्थित थे। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको परम्परा का ज्ञान भी होना चाहिये। व्यवस्था का भी ज्ञान होना चाहिये। यह सब होते हुए भी उन्होंने खड़े नहीं होकर सदन का अपमान किया है। इस आधार पर मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना आपको दी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, पहली बार ही इस प्रकार की बात हुई है, सदन वर्षों से चलता आ रहा है। कई बार मैंने यह भी देखा है कि ये प्रांगण या सदन के अन्दर के व्यक्ति नहीं हैं, ये सदन के बाहर के व्यक्ति हैं, ये डिबेट में भाग नहीं ले सकते हैं और इनके बारे में कोई भी चर्चा करते हैं तो अध्यक्ष महोदय हमेशा यह कहते हैं कि चूंकि ये सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए इनके बारे में चर्चा आपको नहीं करनी चाहिये। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह खड़ा हो। अगर अध्यक्ष महोदय इसके बारे में रूलिंग दे देंगे कि नहीं, उनको खड़ा होना चाहिये तो भविष्य में इसकी पालना की जानी चाहिये। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और जिसको सदन की डिबेट में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी बात सदन के अन्दर कह नहीं सकता, उस व्यक्ति के लिए यह कोई आवश्यक भी नहीं है कि सदन की कार्यवाही हो या राज्यपाल महोदय आवें तब वह खड़े हों। उनको इज्जत देना अच्छा है, इज्जत देनी चाहिये थी। उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे कि राज्यपाल महोदय की शान में या इज्जत में कोई दखल पड़ा हो। मैं तो यह समझता हूं कि इसके बारे में आप सारी परम्पराओं को देखें, लोक सभा में किस प्रकार की परम्परा है और राज्य विधान सभाओं में किस प्रकार से क्या होता है, वह देखने के बाद में आप जो निर्णय देंगे उसकी पालना हो जायगी। मेरा तो यह निवेदन है कि यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

श्री अध्यक्ष : और भी कोई माननीय सदस्य इस विषय पर अपनी राय प्रगट करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने अपने भाषण में कहा कि ऐसी कोई पहले परम्परा सदन की नहीं रही है। वे सदन के बाहर के व्यक्ति हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के अन्दर जब सन् 57 में विधान सभा का सदस्य था और उसके बाद में जब मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था तो सदन की कार्यवाही देखने के लिये आता और दर्शक दीर्घा में होता तो यह देखता था कि जब भी गवर्नर महोदय या अध्यक्ष महोदय सदन में पधारते हैं तो सारी दर्शक दीर्घाओं के श्रोतागण, दर्शकगण और अधिकारीगण खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने जो तर्क दिया है वह तर्कसंगत नहीं है और उनका तर्क कोई विधिवत् नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो सदन में प्रश्न विशेषाधिकार का उठाया है वह बिलकुल सही है। मैं समझता हूं इस पर आप अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल कान्सटीट्यूशन का है या जहां तक सवाल नियमों का है उसका उल्लेख न तो कान्सटीट्यूशन में है और न नियमों में है। लेकिन हमारे विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में उठाया है वह एक मौलिक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गणतन्त्र की रक्षा के लिये गवर्नर महोदय के सम्मान के लिये हमें यह करना आवश्यक है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपकी तरफ से व्यवस्था हो जाय कि भविष्य में जब भी गवर्नर साहब पधारें तो उनका खड़े होकर सम्मान किया जावे। यह आइन्दा के लिये आप कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा को कायम रखना हम सभी सदस्यों का फर्ज है और इसी तरह से राज्यपाल महोदय जब भी सदन में पधारें तो उनकी इज्जत करना, उन्हें इज्जत देना हम सभी सदस्यों का कर्तव्य है। मैं समझता हूं सबको ऐसा करना चाहिये। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जो लोग दर्शक दीर्घा में हों चाहे वह ऊपर की दीर्घा हो चाहे वह नीचे की दीर्घा हो या आफिसर्स गैलेरी हो वह हमारे हाउस का पार्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं समझता हूं कि आफिसर्स ने अज्ञानतावश ऐसा किया होगा। मैं समझता हूं कि आम तौर से जब कभी भी गवर्नर साहिब विधान सभा के बाहर भी हमें मिलते हैं तो उनको नमस्ते करते हैं। सभी उनका सम्मान करते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारी बात को स्टडी करके ....

एक माननीय सदस्य : आप इसको डिफेन्ड मत करिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सारी बात को स्टडी करके इस पर निर्णय दें। जहां तक सवाल मेरी मान्यता का है मेरी मान्यता तो यह है कि इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में हुआ उसमें न केवल अध्यक्ष महोदय का और गवर्नर महोदय का ही अपमान है, मैं समझता हूं कि यह सारे सदन का अपमान है। आज अगर नौकरशाही में, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का गुरूर पैदा हो जाय कि वह सदन में जब भी गवर्नर साहब पधारें, उस वक्त दीर्घा में बैठ कर उनका सदन में अभिवादन खड़े होकर नहीं करें तो मैं समझता हूं कि यह खुल्लम खुल्ला सदन का अपमान है। इसके लिये आपको उनके खिलाफ में कोई व्यवस्था देनी चाहिये।

(व्यवधान)

आप सुनिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : आपने तो खुद ने राज्यपाल महोदय का अपमान किया था। आप तो सदन छोड़कर बाहर चले गये थे। आपने तो खुद ही उनका अपमान किया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोकसिंह : आपने सदन छोड़ने की बात कही वह मुझे अधिकार है। डेमोक्रेसी में हमें यह अधिकार है। तुम्हारे कहने का कोई असर नहीं होगा। तुम डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ इस तरह करोगे····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो मौजूद ही नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न जो माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने उठाया है मेरी मान्यता के अनुसार वह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज की परिधि में नहीं आता है। सदन में परम्पराओं का जहां तक निर्वाह करने का संबंध है और जिन परम्पराओं के सम्बन्ध में हम बात करते हैं उनके निर्वहन के लिये हम सदन के नियमों के अन्तर्गत बाध्य नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन है कि जो ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव रखा है वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है। हम इसको, अध्यक्ष महोदय, ब्रीच आफ प्रिविलेज के अन्तर्गत प्रस्ताव नहीं मान सकते हैं। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज के अन्तर्गत नहीं आता है। अगर हम परम्पराओं की बात करते हैं तो मैं विरोधी दल के माननीय नेता को निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों की बात में और परम्पराओं की बात में फर्क है। या तो हम परम्पराओं की बात करें या नियमों की बात करें। नियमों की बात करें तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज में नहीं आता। जहां तक सवाल गवर्नर महोदय को आदर देने का है सभी लोगों को गवर्नर महोदय को आदर देना चाहिये और देते भी हैं। मेरी मान्यता है कि यह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का नहीं है और यह प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज की परिधि में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बान्दीकुई) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न सदन

(श्री नाथूसिंह)
में उठाया है वह बहुत ही मौलिक प्रश्न है। सदन में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य है यह कह कर कि यह परम्पराओं का सवाल है और कोई कानूनी बात नहीं है इस सवाल को टालना चाहा है यह उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का उदाहरण देना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सुनिये, आपको सुनना चाहिये।

हमने हमारे देश में लोकतन्त्र को अपनाया है ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की पद्धति पर। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में परम्पराओं का भारी महत्व है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की कौनसी पार्लियामेन्ट की बात कर रहे हैं? आप हाउस आॅफ कामन्स की बात कर रहे हैं या हाउस आॅफ लार्ड्स का उदाहरण देना चाहते हैं?

श्री नाथूसिंह : आप बैठिये। सुनिये, मैं अभी बताता हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिये, हुजूर, आप हमारा साथ ही दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : जहां तक सवाल संसदीय लोकतन्त्र का है जहां से हमने संसदीय लोकतन्त्र को स्वीकार किया है वहां पर लोकतंत्र में परम्पराओं को बहुत ही महत्व दिया जाता है। कई बार तो संसदीय परम्पराओं को कानून से ऊपर माना जाता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब भी राज्यपाल महोदय सदन में पधारें और उनकी दृष्टि जब माननीय सदस्यों को देखने के बाद दर्शक दीर्घा में बैठे अधिकारियों पर पड़े, वह उनको वहां पर चुपचाप बैठे दिखें और वह लोग चुपचाप बैठे रहें तो वास्तव में राज्यपाल महोदय का अपमान है। हम इसको, इस तरह की परम्परा नहीं है, कह कर नकार नहीं सकते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में उठाया है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये क्योंकि लोकतन्त्र में कानून और परम्पराओं का समान महत्व है। यहां पर सदन में भी कई बार कई कानूनी प्रश्नों पर जब चर्चा हुई तो एक बार नहीं कई बार सदन में परम्पराओं को अधिक महत्व दिया गया। इसके लिये मैं एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें कई बार परम्पराओं को कानून के ऊपर स्वीकार किया गया है। इसलिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी व्यवस्था दें उस समय कानून और परम्परा दोनों समान महत्व रखती है इस बात को देख कर फैसला दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का पैदा होता है

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कि गैलेरीज में, चाहे दर्शक दीर्घा में बैठने वाले हों चाहे आफिसर्स गैलेरी में बैठने वाले, जो लोग हैं वह जब गवर्नर महोदय पधारें तब खड़े हों। सवाल इस बात का है कि जब गवर्नर महोदय सदन में पधारते हैं तो वह सम्बोधित करते हैं माननीय सदस्यों को। माननीय सदस्यों को सम्बोधित करने के लिये वे इस हाउस में आते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बात नहीं है कि जो लोग गैलेरीज में बैठे थे उन्होंने उनका खड़े नहीं होकर कोई अनादर किया हो। गवर्नर महोदय जब पधारते हैं तो उनका यहां आना प्योर फंक्शन विधान सभा के सदस्यों के लिये होता है। इसलिये विधान सभा सदस्य ही उनको रेस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने भी गवर्नर महोदय को रेस्पेक्ट दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनका अनादर नहीं किया। गवर्नर महोदय हमारे लिये आये थे, वह हमारा काम था, हमारे काम के वास्ते आये थे इसलिये गैलेरीज में बैठे दूसरे दर्शक लोगों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये मैं समझता हूं कि जो विरोधी दल के नेता महोदय ने ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उठाया है वह ब्रीच आफ प्रिविलेज में नहीं आता है। उसे प्रिविलेज का मोशन बताना ठीक बात भी नहीं है। विधान सभा के जो प्रिविलेजेज हैं वह हमारे पर लागू होते हैं, वह दूसरे लोग जो यहां बैठते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। वह लोग विधान सभा में आकर अपनी बात भी नही कह सकते हैं। इसलिये विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही है मेरी मान्यता है कि यह बात उसमें नहीं आती है। यह जरूरी नहीं है कि विधान सभा सदस्यों के अलावा बाकी लोग जब गवर्नर महोदय यहां आयें तब खड़े हों। ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि नियमों में यह बात नहीं है पर यह भी सही है कि सदन में ऐसी परम्परा रही है। मेरा यह सुझाव है कि भविष्य में जब भी गवर्नर साहब पधारें तब हमारे अधिकारी लोगों को खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की आपकी व्यवस्था हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेव प्रसाद (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन की पिछली परम्पराओं का तो मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मैं आपको व्यावहारिक दृष्टि से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष की यह संस्कृति रही है कि हमारे घर पर कोई भी सम्मानीय व्यक्ति अगर आता है तो घर आये व्यक्ति का हम उचित स्वागत करते हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय और आप जब स्वयं पधारें तो मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों को खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। जो परम्परायें हैं उनके बारे में मैं यह मानता हूं कि उनकी यह कभी अभिलाषा नहीं थी कि किसी तरह का अपमान किया जाये या उनके प्रति कोई उनकी अनादर की भावना हो, लेकिन भविष्य में जो इस चारदीवारी के भीतर बैठे हुए हैं वह उनको सम्मान देने क

(श्री जयदेव प्रसाद)
लिए अवश्य ही खड़े होने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब राज्यपाल महोदय सदन में प्रवेश करें तो जो लोग सदन की इस परिधि में बैठे हैं उनको उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम यह रोज देखते हैं कि जब आप सदन में पधारते हैं तो यद्यपि यहां बैठे हुए कर्मचारीगण हैं वे किसी प्रकार से सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं लेकिन जब आप पधारते हैं तो वह आपके सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। अतः जो सदन की कार्यवाही में भाग लें वे ही केवल खड़े हों वे ही सम्मान करें यह तर्क ठीक नहीं है। फिर आपको एक विशेष बात की तरफ ध्यान देना वह यह है कि यह राज्य कर्मचारी हैं नके बारे में यहां प्रस्ताव लाया गया है। छ माननीय सदस्यों ने इसको प्रेस वालों या अन्य लोगों से इक्वेट करने की कोशिश की। हमें यह देखना होगा कि हमारे राज्य कर्मचारियों का व्यवहार हमारे राज्यपाल महोदय, जो राज्य के प्रमुख हैं, के प्रति किस प्रकार का हो। वैसे आज जब राज्यपाल महोदय पधारे तो दर्शक दीर्घा, जो कि एक विशिष्ट दीर्घा है, में भी जो लोग बैठे हुए थे, उसमें महिलायें भी उपस्थित थीं वे भी खडी हुई उनके सम्मान में। तो मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय के आने पर या किसी को सम्मान देने के समय राज्य कर्मचारियों का कैसा बर्ताव हो यह वास्तव में विचार का विषय है। निर्णय के समय आप यह बिन्दु अवश्य ध्यान में रखें। यह आपको निर्णय करना है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, संक्षेप में माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवादित विषय रहा है। इसको इतना विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए था। मेरा तो सुझाव है कि राज्यपाल महोदय हमारे प्रदेश के पहले नागरिक के नाम से जाने जाते हैं और उनका सम्मान होना ही चाहिए। यह आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया है उसमें पहले तो यह देखना है कि पहले किस प्रकार की परम्परायें थीं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अधिकारीगण सदन में आते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे जन गण मन बोलते हैं तो किसी भी स्थान पर कोई भी बैठा हुआ हो उसे खड़ा होना पड़ता है और उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि विरोधी दल के नेता ने जो प्रश्न उठाया है वह उचित है और इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री अहमद बक्श।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल उठाया गया है। मैं पूछता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रिवलेजेज हैं जो हमको प्रिविलेजेज हैं? अगर नहीं हैं, तो

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी)

फिर क्या सवाल उठता है ? सवाल ही नहीं उठता है। यह जो सवाल उठाया गया है यह गलत उठाया गया है ? ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज का सवाल ग्रगर किसी सदस्य के बारे में उठाया जाता तो समझ में ग्राने की बात है लेकिन गैलेरी में बैठने वालों के लिए उठाया गया है। मैंने लोक सभा ग्रौर राज्य सभा की मीटिंग देखी हैं कि ग्रध्यक्ष महोदय जब ग्राते हैं तो गैलेरी के लोग नहीं उठा करते हैं, सदन के सभी सदस्य उठते हैं ग्रौर गैलेरी में लोग बैठे रहते हैं। इसलिए यह सवाल नामंजूर किया जाये। इसका कोई महत्व नहीं है ग्रौर उठाया ही नहीं जाना चाहिए था।

श्री **ग्रध्यक्ष** : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात की ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। इस सत्र ग्रौर पिछले सत्र में भी दो एक बार ऐसी घटना हुई है कि जब ग्राप रूलिंग देने के लिए ग्रपने स्थान पर खड़े हुए उस समय ग्रधिकारी कक्ष में कोई व्यक्ति खड़े होकर बाहर जाने लगे तो यहीं से यह विषय उठा कि माननीय ग्रध्यक्ष जब खड़े हों तो ग्रधिकारी कक्ष से बाहर जाने वाले व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए ग्रौर उस व्यक्ति को ताड़ना दी जानी चाहिए। मेरे ध्यान में है कि ग्रापने पहले भी ताड़ना दी है। यह बात स्पष्ट रूप से हम सब को मालूम है। जब राज्यपाल महोदय पधारें, स्पीकर महोदय पधारें ग्रौर जब स्पीकर महोदय खड़े रहें तो राज्य-कर्मचारी कक्ष में बैठे हुए लोगों को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, वह ठीक है। मैं समझता हूं कि ग्राप इस पर विचार करके निर्णय देंगे।

श्री **ग्रध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। श्री भैरू लाल भारद्वाज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदन के माननीय सदस्यों ने ग्रपने ग्रपने विचार प्रकट किये मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रादमी कहे ला दो पैसे दूसरा कहता है कि नहीं दो पैसे नहीं दूंगा मैं दूंगा टका। तो टके ग्रौर दो पैसे में जो ग्रन्तर नजर ग्राता है वह ग्रन्तर जैसा लगा। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा ग्रौर हमारे सचेतक महोदय ने कहा उसमें ज्यादा विरोधाभास नहीं है। सवाल यह है कि विरोधी दल के नेता खिचाई के तौर पर कहना चाहते हैं ग्रौर हमारे सचेतक महोदय यह बात कहते हैं कि भविष्य में यह बात मानी जाये। यह बात ठीक है कि ग्रधिकारियों को उठ कर भारतीय संस्कृति के ग्रनुरूप उनका ग्रादर करना चाहिए। लेकिन उस रूप में इतनी खिचाई की जाये कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर ग्रधिकारियों को दण्डित करने की प्रक्रिया ग्रपनाई जाये यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। हमारे सचेतक महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि ग्रध्यक्ष महोदय जैसा कहें ग्राइन्दा उसकी पालना की जानी चाहिए। ग्रब भी ऐसी पालना करते तो ग्रच्छा ही रहता। इसलिए इसके लिए विशेषाधिकार तक पहुंचना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने और विशेष तौर से मुख्य सचेतक महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि सदन में इस प्रकार की परम्परा रही है कि जब राज्यपाल महोदय सदन में प्रवेश करें तो सरकारी दीर्घा में बैठे हुए सरकारी अधिकारी भी खड़े होकर उनका सम्मान करें। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रश्न उन्होंने विवादास्पद बनाने की चेष्टा की है वह इस आधार पर की, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य या दीर्घा में बैठे हुए माननीय अतिथि हैं इन दोनों में इस प्रकार का अन्तर दिखाने की कोशिश की है कि हम उनके खिलाफ बोल नहीं सकते और वह सदन में नहीं बोल सकते। इस आधार पर उन्होंने रेज करने की कोशिश की है लेकिन मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे हाउस की डेफीनेशन क्या है House means the Rajasthan Legislative Assembly. उसमें आगे प्रिसिक्ट्स आफ दी हाउस की डेफीनेशन लिखी है वह यह है

"Precincts of the House" means and includes the Chamber, the Lobbies, the Galleries and such other places as the Speaker may from time to time specify;" तो इस आधार पर वह अपनी बात की पुष्टि करना चाहें कि गैलेरी किसी भी तरह से हाउस का हिस्सा नहीं है उसको तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है।

दूसरी यह बात खड़ी की गयी कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यह परम्परा रही है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीजें नियमों में नहीं हैं लेकिन परम्पराओं के आधार पर जो एस्टेब्लिश हो जाती हैं उनकी स्थिति नियमों से किसी प्रकार से भी कम नहीं है। नियम हों या परम्परायें हों हम बार बार इस बात का उल्लेख करते आये हैं कि न नियमों का उल्लंघन होना चाहिए और न परम्पराओं का। यदि परम्पराओं का उल्लंघन हो सकता है तो मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सदन में आज तक मान्यता नहीं रही कि परम्पराओं का उल्लंघन हो सकता है। परम्पराओं का भी उसी तरह से वजन है जिस तरह से नियमों का। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, जो नाथद्वारा से आये हैं, नियमों और परम्पराओं में भेद करके यह कहें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है यह किसी प्रकार से दिखाने की चेष्टा की है, मैं समझता हूं कि यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

रहा सवाल यह, आपको निर्णय यह करना है कि सदन की इस प्रकार की परम्पराएं रहीं या नहीं रहीं ? यह कोई विवाद का विषय किसी माननीय सदस्य ने नहीं बनाया। सब के मुंह से किसी प्रकार से यह निकला और सब ने इसको स्वीकार किया है कि सदन की परम्परा रही है। इसका मतलब परम्परा हो, चाहे नियम हों आज उस परम्परा का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन होता है तो उसी आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मैं चाहूंगा कि आज इन दोनों में किसी प्रकार का भेद न हो। भविष्य में होगा वह तो सही है लेकिन आज परम्पराओं का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ इसका भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निर्णय आपको करना है। भविष्य में आगे क्या परम्परा निभाई जाये उसके बारे में आपका जो निर्णय होगा उसको मानने का प्रश्न पैदा होगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने एक विशेषाधिकार हनन का प्रश्न सदन में प्रस्तुत किया है। काफी माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी राय बताई लेकिन क्योंकि यह प्रश्न तत्काल सदन के सामने उपस्थित हो गया था इसलिये संवैधानिक स्थिति क्या है, नियमों में क्या प्रावधान है, यहां की परम्परा क्या रही है, यदि कुछ लोग कुछ परम्परायें मानते रहे हैं या खड़े होते रहे हैं, सदन की परम्परायें बन गईं तो इन सब प्रश्नों का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसलिये मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों का परिचय

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे और करना है। ट्रेजरी बेंचेज में कई नये सज्जन बैठे हुए हैं। पिछले सत्र में वह बैक बेंचेज पर बैठे हुए थे। मैं ऐसा समझता हूं काफी इन्तजार के बाद आना पड़ा है इस सरकार में। इसलिये मैं कह रहा था जैसे मुख्य मंत्री जी ने गत अधिवेशन में नये मंत्रियों का परिचय कराया था, कम से कम सब का परिचय तो करा दें।

श्री अध्यक्ष : आप सदस्यों के रूप में सब को जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था हुई है मैंने परिचय कराया था। पहाड़िया जी ने भी परिचय कराया था।

श्री अध्यक्ष : आप नये नये थे और आपने मंत्रि-मण्डल का विस्तार किया ही था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई ऐसे हैं सिवाय दो तीन को छोड़कर सब नये हैं। आपस में शक्ल से भी नहीं जानते हैं। यह तो परम्परा की बात है। मुख्य मंत्री जी सब का परिचय करा दें तो इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : यदि वे उचित समझें तो करा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है। परम्परा की बात है। परिचय तो होना ही चाहिये। इसमें आपत्ति नहीं है। परिचय तो करा दीजिये।

एक माननीय सदस्य : जो परिचित हैं उनका क्या परिचय कराना ?

(व्यवधान)

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नये मंत्री होते हैं उनका परिचय कराया जाता है हाउस में। माननीय विरोधी दल के नेता का केवल उद्देश्य यह है कि किस को क्या विभाग दिया गया है। इसमें दिलचस्पी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है वह काम तो मुख्य मंत्री का है। मुख्य मंत्री जी केवल परिचय करा दें, हम तो केवल इतना सा जानते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अगर आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं परिचय कराये देता हूं। श्री चन्दनमल जी बैद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हैं क्या ? यह बताइये ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया :

श्री हीरालाल देवपुरा
श्री हर सहाय जी मीणा
श्री दुला राम जी
श्री राम किशन जी
श्री बनवारी लाल जी शर्मा
श्री घासीरामजी यादव
श्री शीशराम जी ओला
श्री दिनेश राय जी डांगी
श्री नानालाल जी
श्री ईश्वरचंद जी ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.44 बजे सोमवार दिनांक 23 फरवरी, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट

(महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण)

माननीय सदस्य गण,

राजस्थान की सातवीं विधान सभा के इस द्वितीय सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सत्र में आप महानुभावों को राज्य के वार्षिक बजट पर विचार करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनता जनार्दन के हित को सर्वोपरि मानते हुए अपने इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन करेंगे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष राजस्थान के लिए एक संकट का वर्ष रहा है। यह पूरा साल ही वर्षा की अनिश्चितता एवं कमी से प्रभावित रहा। पिछले वर्ष भी हमारे यहां अकाल पड़ा था और इस वर्ष इसकी पुनरावृत्ति ने विपदा को और गहन बना दिया है। राज्य का अधिकांश भाग अकाल एवं सूखे से ग्रस्त हो गया है। 1980 में केवल पांच जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई और शेष जिलों में वर्षा की व्यापक कमी बनी रही। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य के सभी जिले अकाल की चपेट में आ गये हैं व कुल 197 तहसीलों में से 157 तहसीलें व 21,365 गांव तथा 167.71 लाख जनसंख्या इससे प्रभावित है।

प्रकृति के इस कोप का खेती-बाड़ी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बुवाई का क्षेत्र भी घटा है और राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम होने की सम्भावना है। खरीफ में 50 से 80 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो जाने का अनुमान है और रबी की फसलें भी इस स्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगी। 1979-80 में खाद्यान्न हेतु बोए गए 116.51 लाख हैक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 12 प्रतिशत कम क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलें बोई गईं। तिलहन का क्षेत्रफल भी 10.60 लाख हैक्टेयर से घटकर 9.45 लाख हैक्टेयर में ही होने का अनुमान है। कपास भी इस वर्ष 3.40 लाख हैक्टेयर में होने का अनुमान है जब कि 1979-80 में 3.87 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल कपास की फसल के अन्तर्गत था। चूंकि वर्षा अपेक्षाकृत जल्दी आ गई थी, अतः गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 18 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है।

फसलों का क्षेत्रफल घटने के साथ उत्पादन में भी कमी होने का अनुमान है। 1979-80 में 52.10 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। 1980-81 में केवल 47.11 लाख मैट्रिक टन अनाज पैदा होने का अनुमान है। किन्तु, क्षेत्रफल घटने के बावजूद तिलहन, कपास और गन्ने के उत्पादन में इस वर्ष क्रमशः 45.11 प्रतिशत, 10.65 प्रतिशत और 18.21 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्थान की कुछ तहसीलों में फसल बीमा की पायलट योजना को परीक्षण के तौर पर, खरीफ 1981 से लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

सूखे की स्थिति एवं गंग, भाखरा, चम्बल तथा राजस्थान नहर से 25 से 30 प्रतिशत कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद अधिक उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों की अधिक खपत द्वारा उत्पादन की कमी को

कम से कम करने के लिए सरकार कृत-संकल्प है। रबी की फसल को, जो मुख्यतः राज्य के 15 जिलों में बोई जाती है, सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए डीजल एवं बिजली समुचित मात्रा में उपलब्ध करने के प्रयत्न किए गए हैं व वर्तमान विद्युत् की कमी के बावजूद राज्य सरकार कृषि कार्यों के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है।

अकाल की व्यापक विभीषिका को देखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की प्रतीक्षा किए बिना नवम्बर, 1980 में ही परीक्षण राहत कार्य प्रारम्भ कर दिए थे और राहत कार्यों, पेयजल तथा चारे आदि की व्यवस्था के लिए 3.75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी थी। केन्द्रीय सरकार से 18.07 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता राशि का आवंटन होते ही इस राशि से नियमित राहत कार्य स्वीकृत किये गये और फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक अकाल राहत व विभागीय कार्यों पर क्रमशः 2,27,560 व 1,13,595 अर्थात् कुल 3,41,155 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया। आवश्यकतानुसार और अधिक राहत कार्य खोलने के लिए जिलाधीशों को अधिकृत कर दिया गया है और इसके लिए चार करोड़ रुपये की धन-राशि भी उन्हें आवंटित की जा चुकी है जो अग्रिम योजना सहायता के अतिरिक्त है। 50 करोड़ रुपयों के ऊपर की लागत के राहत कार्यों को आरम्भ करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

राज्य के कुछ क्षेत्रों में इस बार पेयजल की समस्या भी विषम है। जहां पांच किलो-मीटर की परिधि में भी पेयजल उपलब्ध नहीं है, वहां ट्रक, टैंकरों अथवा किराये के वाहनों से पेयजल पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है। जिन गांवों में कुए 150 फीट या इससे भी अधिक गहरे हैं, उनमें "पिवाई" के रूप में भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जो नल-कूप खोदे जा चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जाकृत किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं को भी तुरन्त पूरा करने और जलोपलब्धि की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इन योजनाओं के लिए सामान्य बजट के अतिरिक्त अग्रिम योजना धनराशि से 4.35 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

अकाल से त्रस्त पशुधन के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं। निष्क्रमण मार्गों पर चारे के डिपो खोलने और निष्क्रमण करने वाले पशुओं के लिए 6 किलो प्रति पशु की दर से मुफ्त चारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। चारे को राज्य से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिलाधीशों को 10 लाख रु. की राशि इसलिए आवंटित की गई है कि वे सिंचित क्षेत्रों में किसानों को चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। चारा उगाने वाले किसानों को 265 रुपये प्रति आधा हैक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। गौ-सेवा संघ को भी विभिन्न स्थानों पर पशु-पोषण केन्द्र चलाने के लिए एक रुपया प्रति पशु की दर से अनुदान दिया जा रहा है। गौ-सेवा संघ को बीस लाख रुपये का बिना ब्याज का ऋण भी दिया गया है। चारे की स्थानीय व्यवस्था के लिए पंचायतों को भी पांच

हजार रुपया बिना ब्याज ऋण के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। अकालग्रस्त क्षेत्रों में सीमांत एवं लघु कृषकों को रबी में अनुदान सहायता सुलभ करने के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रधान मंत्री के सूखा सम्बन्धी 12 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अग्रिम योजना सहायता से भी बड़े पैमाने पर वनारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। 40,000 क्विंटल घास अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचित कराया जा रहा है जो चारा बैंक के रूप में सुरक्षित रहेगा।

दो वर्षों से लगातार पड़ रहे अकाल से जूझने के लिए उपरोक्त कारगर कदमों के अलावा राज्य सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में काश्तकारों के विरुद्ध चल रहे समस्त दीवानी देयताओं की वसूली व डिक्रियों का क्रियान्वयन रोक दिया है और वसूली के नये दावे दायर करने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही अकालग्रस्त क्षेत्रों में बारानी की तकावी एवं भू-राजस्व की बकाया की वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं।

राजस्थान की मूलभूत समस्या इसका विशाल रेगिस्तान और बारम्बार पड़ने वाले अकाल हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए मरु विकास कार्यक्रम एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में 1977–78 में राज्य के 11 जिलों में आरम्भ किया गया था। 1979–80 के अन्त तक इस कार्यक्रम पर 1,731 लाख रुपये व्यय हुए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना और रोजगार की सुविधायें उपलब्ध करना है और इसके अन्तर्गत वन विकास, भू-जल विकास, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य और ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में 3,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय मरु-उद्यान की स्थापना की, केन्द्रीय सरकार ने, इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति दी है। राज्य सरकार ने मरुभूमि सुधार व विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है जिसके आधार पर भारत सरकार व योजना आयोग से निवेदन किया जाएगा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त कर इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करे।

राज्य के 10 जिलों एवं 3 जिलों की 6 तहसीलों में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में ही क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास, रोजगार उपलब्ध कराना तथा लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और गति प्रदान की जाएगी।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना भी केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में, 1980 की गांधी जयन्ति से, राज्य की सभी 236 पंचायत समितियों में आरम्भ कर दी गई है। लघु कृषक विकास कार्यक्रम अब इसी का अंग है। 13 जिलों में अब तक कार्यरत जिला विकास अभिकरण और शेष 13 जिलों के लघु कृषक विकास अभिकरण अब "जिला ग्रामीण विकास अभिकरण" बनाए जा रहे हैं जो ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की समन्वित क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी हैं। इन अभिकरणों का लक्ष्य प्रति वर्ष प्रत्येक

पंचायत समिति में लगभग 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। छठी योजना में अनुमानतः 7 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस कार्यक्रम के लागू होने से अब तक लगभग एक लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है जिन्हें लगभग 800 लाख रुपये के अनुदान एवं 1,740 लाख रुपये के बैंक ऋण उपलब्ध कराये जा चुके हैं। राष्ट्रीय नवयुवक एवं नियोजन योजना (ट्राइसम) भी इसी कार्यक्रम का एक अंग है जिसके अन्तर्गत निर्धन परिवारों के युवकों को प्रशिक्षित कर स्वनियोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 6,260 युवक अब तक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और द्रुत गति से चलाया जाएगा।

राजस्व से सम्बन्धित अनेक मामलों का मौके पर निपटारा करने की व्यवस्था होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेषतः कृषकों को बड़ी राहत मिलती है। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने 1 मई, 1981 से 30 जून, 1981 तक सघन राजस्व अभियान चलाने का निश्चय किया है जिसमें राज्य के प्रत्येक पटवार हल्के में शिविर लगा कर ग्रामवासियों की राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि का जो मुआवजा भूमिधारियों को देय बनता है उसको निर्धारित करने की मौजूदा प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए व अकृषि योग्य भूमि को, क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु प्रयोग में लाने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है जो इस सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन वसूल की जाने वाली धनराशि को किश्तों में वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप उन मामलों में भी किस्तें नहीं की जा सकतीं जिनमें किश्तें की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में किस्तें करने की शक्तियां उपलब्ध कराने हेतु इस अधिनियम में भी संशोधन के लिए एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

राजस्थान नगर परियोजना के प्रथम चरण में दिसम्बर, 1980 तक 73,356 आवंटियों को लगभग 9.69 लाख एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है जिसमें करीब 2.70 लाख एकड़ भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के 21,881 व्यक्तियों को आवंटित की गई है। पाकिस्तान से आए हुए लगभग तीन हजार परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है।

चम्बल, भाखरा एवं गंग नहर परियोजना क्षेत्र में कुल आवंटन योग्य भूमि लगभग 9.37 लाख एकड़ थी, जिसमें से दिसम्बर, 1980 तक 8.57 लाख एकड़ भूमि का 46,753 आवंटियों को आवंटन किया जा चुका है। इसमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के 19,456 आवंटी हैं।

राजस्व प्रशासन को अधिक सशक्त व क्रियाशील बनाने हेतु समस्त पटवार एवं गिरदावर हल्कों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सातवें वित्त आयोग के

16

प्रस्तावों के अनुसार 6 नई तहसीलें एवं 27 उप तहसीलें भी स्थापित की जायेंगी।

मरुस्थल के विस्तार को रोकने, राज्य के भूगोल को वर्षा के अनुकूल बनाने व अन्य अनेक लाभों को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण का महत्व निर्विवाद है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1 करोड़ 65 लाख पौधे लगाये गये है जो इस प्रदेश के इतिहास में एक कीर्तिमान है व अब तक किसी भी वर्ष की उपलब्धि के दुगुने से अधिक हैं। राज्य के 10.6 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं, किन्तु दो-तिहाई वन परिभाषित वनों अथवा नंगी पहाड़ियों के रूप में हैं। इस वर्ष 9,671 हैक्टेयर परिभाषित क्षेत्रों में वनों का पुनरारोपण किया गया और 17,630 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास, 2,250 हैक्टेयर क्षेत्र में रेतीले टीलों का स्थिरीकरण और सड़कों तथा नहरों के किनारे 10,926 "रो" किलोमीटर वृक्षावली-रोपण किया गया।

1981-82 में भी राज्य मे लगभग 1 करोड़ 75 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। वन विभाग की विभिन्न योजनाओं से डेढ़ करोड़ मानव-दिवस रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। चम्बल, दांतीवाड़ा, माही और साहिबी नदी घाटी योजनाओं में इस वर्ष कुल 10,251 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य सम्पन्न हुए हैं।

राजस्थान में दस वन्य जीव अभयारण्य थे, अब राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर और जयपुर के नाहरगढ़ के लिए दो नये अभयारण्य स्थापित किये गये हैं। रणथम्भौर अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है और भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा रहा है। इस वर्ष राज्य भर में वन्य प्राणियों के आखेट पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जयपुर में अशोक वाटिका और झालाना वन क्षेत्र तथा जयपुर-दिल्ली मार्ग पर शाहपुरा के निकट वन-उद्यान पर कार्य आरम्भ हो चुका है। एक सघन कार्यक्रम राज्य के दस जिलों में ग्रामीण ईंधन वनारोपण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा रहा है।

राज्य में पेयजल की समस्या के समाधान की दृष्टि से वर्तमान वर्ष महत्वपूर्ण रहा है। कम से कम लागत से अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभान्वित करने हेतु इस वर्ष हैण्ड-पम्प योजनाओं पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है व इस वर्ष के अन्त तक लगभग 4,000 हैण्ड-पम्प लगाये जायेंगे। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नगरीय व ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर कार्य आरम्भ होना एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ग्रामीण पेयजल समस्या के त्वरित समाधान की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 2,500 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और दिसम्बर, 1980 तक 1,503 गांवों में योजनाएं चालू की जा चुकी हैं।

चूरू व गंगानगर जिलों के समस्याग्रस्त गांवों के लिए गंधेली साहवा योजना को, 48.50 लाख रुपये के आवंटन से द्रुत गति से पूरा करने का प्रयत्न जारी है। इस योजना के अन्तर्गत, राजस्थान नहर से

लिफ्ट द्वारा पानी लाया जाकर नोहर, भादरा, तारानगर तथा राजगढ़ तहसीलों में, पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

यू. एन. डी. पी. सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले 15 नगरों का चयन किया गया है जिनमें 2.56 करोड़ रुपये की लागत से नये फ्लश तहारत बनवाने और पुराने सूखे तहारतों को नये तहारतों में बदलने की योजना है।

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। "श्वेत क्रान्ति" के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु इस वर्ष अलवर में एक लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली डेयरी तथा कोटपूतली, भीलवाड़ा और दौसा में अवशीतन केन्द्र चालू किये जा चुके हैं। अगले वर्ष में जयपुर में डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की डेयरी और ब्यावर, गंगापुर सीटी, बांसवाड़ा, सूरतगढ, नोहर और छतरगढ़ में अवशीतन केन्द्रों का कार्य आरम्भ हो जायेगा। भरतपुर जिले में नदवई और अजमेर जिले के तबीजी में सन्तुलित आहार के कारखाने चालू हो गये हैं व अगले वर्ष बीकानेर में भी ऐसे ही कारखाने का कार्य आरम्भ हो जायेगा। हनुमानगढ़ में डेयरी के निर्माण का कार्य अगले वर्ष आरम्भ होगा। इस वर्ष लगभग सवा लाख किसान परिवार डेयरी विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं अगले वर्ष यह संख्या डेढ़ लाख तक पहुंच जाने की आशा है।

राज्य के 4.14 करोड़ पशुधन तथा 15.90 लाख कुक्कुट पक्षियों के स्वास्थ्य, संवर्द्धन और नस्ल सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस वर्ष 30 नये पशु चिकित्सालय, 14 पशु औषधालय और मरुक्षेत्र में 30 नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। राज्य में 11 भ्रमणशील पशु स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं और 53 भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाइयां गांव-गांव घूम कर टीके लगाने के साथ चिकित्सा और बधियाकरण आदि सुविधायें उपलब्ध करा रही हैं।

अगले वर्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में 30 नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होंगे और इन पर "फ्रोजन सीमन" उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जायेगी। राजस्थान नहर क्षेत्र में भी दो भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाइयां और स्थापित होंगी।

स्विस सरकार के सहयोग से रामसर (अजमेर) में एक "गोट फार्म" की स्थापना की जा रही है जहां दुधारू बकरियों का विकास होगा। प्रादेशिक पशु जैविक उत्पादन प्रयोगशाला का वातानुकूलित भवन जयपुर में बनकर तैयार हो चुका है।

इस वर्ष निष्क्रमणार्थी भेड़ों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर तथा भीलवाड़ा जिलों के निष्क्रमण मार्गों पर 43 चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों पर निष्क्रमण मार्ग और भेड़ों की संख्या निर्धारित की जाती है, भेड़पालकों को पहचान-पत्र दिये जाते हैं और भेड़ों को दवा पिलाने और टीका लगाने की व्यवस्था भी है। मुझे यह कहते हुए सन्तोष है कि इस व्यवस्था के कारण इस वर्ष निष्क्रमणार्थियों को कोई असुविधा नहीं हुई।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जल विद्युत् गृहों के जलाशयों में बहुत कम पानी आने से राज्य को विद्युत् संकट का सामना करना पड़ रहा है। अणु बिजली घर की प्रथम इकाई के चालीस दिनों के लम्बे अर्से तक बन्द रहने के कारण यह संकट और भी गहरा हो गया। परिणामस्वरूप राज्य को बिजली की उपलब्धता माह दिसम्बर, 1980 के मध्य से केवल लगभग 70-75 लाख यूनिट प्रतिदिन ही रह गई, जब कि कुल मांग लगभग 180 लाख यूनिट है। विद्युत् की उपलब्धि में भारी कमी के कारण राज्य सरकार के सामने विद्युत् कटौती लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। उपलब्ध विद्युत् का विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं को वितरण करने में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार, प्रतिदिन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। दिनांक 28 जनवरी, 1981 से अणु विद्युत् गृह की प्रथम इकाई द्वारा पुनः विद्युत् उत्पादन चालू होने से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। विद्युत् की उपलब्धि में वृद्धि होने पर, जिसके लिए समस्त आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत् कटौती में कुछ राहत देना सम्भव होगा।

राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए सिंचाई कुओं के ऊर्जाकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई तथा 1980-81 में कूप-ऊर्जाकरण के योजना आवंटन के 16,000 कुओं के लक्ष्य को बढ़ाकर 20,000 किया गया है एवं इसी प्रकार ग्राम विद्युतीकरण के 1,200 ग्रामों के लक्ष्य को बढ़ाकर 1,800 किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 10 माह के दौरान 665 अतिरिक्त ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 19,000 से अधिक अतिरिक्त कुओं का ऊर्जाकरण किया जा चुका है। अब राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत बढ़कर 43.55 हो गया है व अब तक 2 लाख से अधिक कुओं का ऊर्जाकरण हो चुका है।

सिंचाई के क्षेत्र में चल रही विभिन्न बृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने के साथ लघु सिंचाई योजनाओं पर भी बल दिया जायेगा। पूर्व में पूर्ण की गई योजनाओं के जल का अधिकतम उपयोग किये जाने के लिये आधुनिकीकरण का कार्यक्रम भी व्यापक रूप से हाथ में लिया जायेगा। राज्य की मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए यू. एस. ए. आई. डी. सहायता, वर्ष 1980-81 से मिलने लगेगी। माही बजाज सागर योजना व राजस्थान नहर पर भी कार्य चल रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण का कार्य समाप्ति पर है व इस वर्ष 140 कि. मी. वितरक नहरों को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु समुचित मात्रा में कोयला प्राप्त न हो सकने के कारण इस लक्ष्य को कम करके 59 कि. मी. रखा गया है व वर्ष 1981-82 में 80 कि. मी. वितरक नहरों को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य में भी आशानुकूल प्रगति होने में कोयले की समुचित मात्रा प्राप्त न हो सकने के कारण बाधा आयी है। इस विषय में केन्द्र सरकार से समुचित मात्रा में कोयले की ढुलाई के

लिए रेलगाड़ियां प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अधीन राजस्थान नहर स्टेज-1 फेज-1, स्टेज-1 फेज-2 एवं चंबल क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं। राजस्थान नहर स्टेज-1 फेज-1 और चम्बल परियोजना के विकास कार्य अन्तिम चरण में हैं, जब कि राजस्थान नहर स्टेज-1 फेज-2 के विकास कार्य इसी वर्ष चालू हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई. एफ. ए. डी.) से इस योजना के लिए सहायता प्राप्त की जा रही है।

राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत मण्डी नियमन योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में अन्य राज्यों की भांति पृथक् से कृषि विपणन निदेशालय की फरवरी, 1980 में स्थापना की गई। नियमन योजना के अन्तर्गत अब तक 126 कृषि उपज मण्डी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं जिनके अधीन 126 मुख्य मण्डी प्रांगण एवं 192 गौण मण्डी प्रांगण कार्यरत हैं। वैज्ञानिक आधार पर नई सुव्यवस्थित मण्डियों के निर्माण की दिशा में अभी तक 23.88 करोड़ रुपये की लागत की 46 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। अब तक 27 नई मण्डियां लगभग बनकर तैयार हैं और 10 मण्डियों में व्यापार प्रारंभ किया जा चुका है।

राज्य में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अधिकतम रोजगार उपलब्धि, जनशक्ति का यथाशक्ति उपयोग और अधिकाधिक क्षेत्रीय विकास सन्तुलन राज्य के औद्योगिक विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की दिशा में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

1980-81 में 13,492 औद्योगिक इकाइयों का अस्थायी पंजीयन तथा 4,153 इकाइयों का स्थायी पंजीयन किया गया। 1981-82 में राज्य में 17,000 इकाइयों के अस्थायी पंजीयन व 12,200 औद्योगिक इकाइयों के स्थायी पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों एवं लघुतम इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा व इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दस्तकारों एवं उपक्रमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सहकारी क्षेत्र में हाथकर्घा विकास के लिए भी यथोचित प्रयास किया जाएगा।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम द्वारा इस वर्ष 18 नये आशय पत्र प्राप्त किये गये। निगम के संयुक्त क्षेत्र में कृत्रिम धागा बनाने की दो परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो चुका है। इसी क्षेत्र में स्थापित तीन ऊनी धागा मिलों में सफलतापूर्वक उत्पादन आरम्भ हो गया है व अन्य ऐसी ही 2 मिलों में भी शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। निगम द्वारा अब तक 20.50 करोड़ रुपये के सावधि ऋण विभिन्न उद्योगों को स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत सहायता में से 68 प्रतिशत राशि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को स्वीकृत की गई है। निगम के प्रयत्नों से राज्य के औद्योगिक विकास में लगभग 350 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन एवं 30 हजार

से अधिक लोगों को उद्योगों के जरिये रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य सम्पन्न हो चुका है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को उद्योगों में प्रवृत्त करने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों को एक लाख रुपये तक के ऋण के लिए निर्धारित ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट व 95 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा दी गई है।

प्रमुख चैसिस निर्माता कम्पनी अशोक लेलैण्ड के प्रबन्धकों व राज्य सरकार के बीच राज्य में ट्रक चैसिस बनाने का कारखाना लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 43 आशय पत्र, 10 औद्योगिक अनुज्ञप्ति व 26 टैक्सटाइल मिल लगाने के परमिट स्वीकृत किये गये। इसमें 5 आशय पत्र सीमेन्ट उद्योग के लिए हैं।

राजस्थान हाथकर्घा मण्डल ने चालू वर्ष में विपणन के लिए सूत देकर कपड़ा प्राप्त करने के लिए 18 केन्द्रों को बढ़ाकर 31 केन्द्र कर दिये हैं। मण्डल द्वारा चालू वर्ष में 30 लाख रुपये की बिक्री की गई है। हाथकर्घा उद्योग को विकसित करने हेतु भी शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

चालू वर्ष में खादी का उत्पादन 1,350 लाख रुपये से बढ़कर 1,650 लाख रुपये हो जावेगा जिसके फलस्वरूप रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 33 हजार से बढ़कर 1 लाख 45 हजार हो जावेगी।

बिजली की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा डीजल जनेरेटिंग सैट्स के लिए अविलम्ब अनुमतियां दी जा रही हैं व अब तक 100 मेगावाट से अधिक क्षमता की इस तरह की अनुमतियां जारी की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आयातित डीजल जनेरेटिंग सैट्स को चुंगी से भी मुक्त करने का निर्णय लिया है।

राज्य में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने तथा उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी प्रयास किये गये हैं। हाल ही में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णयानुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन्स एक्ट तथा इण्डस्ट्रीयल एम्पलायमेन्ट (स्टेंडिग आर्डर्स) एक्ट के प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बालक श्रमिकों को वर्तमान श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधायें सुनिश्चित करने तथा इसके अतिरिक्त उनकी सेवाओं में सुधार करने के कार्यक्रम बनाने तथा राज्य सरकार को समय-समय पर राय देने के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

विभिन्न खनिजों के उत्पादन एवं उनके विशाल भण्डारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष खनिज भण्डारों के पूर्वेक्षण में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य मेड़ता रोड (नागौर) एवं कपूरडी (बाड़मेर) में लिगनाइट (भूरा कोयला) की

(21)

खोज है जो ऊर्जा स्रोत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त अन्य खनिजों जैसे सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन, बेराइट्स, वेन्टोनाइट, संगमरमर व रॉक-फॉस्फेट की खोज के लिए भी इस वर्ष कार्य किया जा रहा है। झामरकोटड़ा में निम्न श्रेणी के रॉक-फास्फेट के भण्डारों को उपयोगी बनाने हेतु एक परीक्षण संयंत्र, जिसकी क्षमता 200 टन प्रतिदिन होगी, जून, 1981 तक चालू होने की संभावना है। यह भविष्य में लगने वाले बड़े संयंत्र का मूलाधार होगा।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा खनन् विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष निगम द्वारा 236 लाख रुपये के खनिजों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 83 लाख रुपये अधिक है।

प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है। 1979–80 के अन्त तक 72 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवार एवं 99 प्रतिशत गांव सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं। कृषि उत्पादन के लिए कृषकों को 30 जून, 1980 को समाप्त हुए सहकारिता वर्ष में 76.57 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया। इस अवधि में 5.03 करोड़ रुपये के मध्यकालीन एवं 15.94 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया गया। चालू सहकारिता वर्ष में 90 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 10 करोड़ रुपये के मध्यकालीन, एवं 22.50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण करने के लक्ष्य हैं।

सहकारिता वर्ष 1979–80 में अकाल से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु 19.55 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया। इस वर्ष भी अकालग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों के ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से 33 करोड़ रुपये के ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 1979–80 में सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित ऋण पर ब्याज की छूट देने की योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है एवं लगभग 60 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि इस वर्ष दिये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को, कृषि के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता के क्षेत्र में एक नया महत्वपूर्ण कार्यक्रम "परिपूर्ण ऋण योजना" प्रारम्भ किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष भी पर्याप्त विस्तार हुआ है। राज्य के दूरस्थ अंचलों में इस वर्ष 800 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये। 250 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 252 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। माध्यमिक विद्यालयों में अधिक ऐच्छिक विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नये विषय भी खोले गये हैं। उन बालकों को, जो

आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए इस वर्ष 1,200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी खोले गये। आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 76 लाख रुपये की राशि निःशुल्क पुस्तक एवं पोशाक वितरण के लिए व्यय की गई। 15-35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए राज्य में इस समय 5,810 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी कार्यरत हैं।

उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए इस वर्ष 22 महाविद्यालयों में नये विषय खोले गये हैं। दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) एवं आबूरोड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की गई है। महिलाओं को तकनीकी शिक्षा अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जयपुर में महिला पोलिटैक्निक की स्थापना का निर्णय लिया है।

संस्कृत साहित्य की धरोहर को सुरक्षित रखने की दृष्टि से संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को एक लाख रुपये की छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाई गईं व संस्कृत अकादमी की स्थापना भी इस वर्ष की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से 11 राजकीय महाविद्यालयों में 13 विषय स्नातकोत्तर स्तर पर एवं 5 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नए विषय आरम्भ किये गये। इसके अतिरिक्त राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर में वाणिज्य संकाय तथा राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा) में विज्ञान संकाय आरम्भ किये गये।

राज्य में निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है। 1980–81 में 60 उप-केन्द्रों के भवन निर्माण एवं 4 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में चार उप-केन्द्रों को मिनी हैल्थ सैन्टर में क्रमोन्नत कर भवन निर्माण एवं आवास-गृहों के लिए 12.24 लाख रुपये की कुल राशि आवंटित की गई। चालू वित्तीय वर्ष में जनजाति क्षेत्र के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 रोगी शैयाओं वाले रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया।

राजस्थान में भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी पूरा संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चालू वर्ष में 130 नवीन आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी औषधालय खोलने का प्रावधान है, जिनमें से 86 खोले जा चुके हैं। सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों में दो चल चिकित्सालय भी स्थापित किये गये हैं।

जीवन-स्तर ऊंचा उठाने, रोजगार उपलब्ध कराने व राज्य के द्रुत विकास को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण आवश्यक है। राज्य में चालू वर्ष में 1.34 लाख नसबन्दी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में 15 फरवरी तक 87,049 नसबन्दियां की गई हैं जो निर्धारित लक्ष्य का 65 प्रतिशत है व गत वर्ष की इसी अवधि

की तुलना में यह 153.2 प्रतिशत अधिक है।

राज्य में दूरबीन पद्धति (लेप्रोस्कोपी) द्वारा नसबन्दी लोकप्रिय होती जा रही है। चालू वर्ष में अब तक इस पद्धति द्वारा लगभग 58,000 महिलाओं की नसबन्दी की गई है। सरकार, शहरी एवं ग्रामीण जनता को इस पद्धति द्वारा अधिकाधिक लाभान्वित करने के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान कर रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों के निर्माण पर 1,325 लाख रुपये अग्रिम योजना के अतिरिक्त व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 588.81 लाख रुपये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत व्यय होंगे। इससे 795 कि. मी. सड़कों का निर्माण किया जायेगा व अगले वर्ष 830 कि.मी. नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए इस वर्ष योजनान्तर्गत 1,037 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 805 लाख एवं कमाण्ड एरिया में 232 लाख रुपये व्यय होंगे, जिससे 5,000 जनसंख्या के सभी गांव मार्च, 1981 तक सड़कों से जुड़ जायेंगे। 4,000 से 5,000 की आबादी के बचे हुए 26 गांवों को सड़क से जोड़ने के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। इस वर्ष के अन्त तक 1,500 से अधिक आबादी वाले 95 गांव भी सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे। डूंगरपुर-बांसवाड़ा राज्य पथ पर माही नदी के पुल का निर्माण कर लिया गया है।

लघु एवं मध्यम श्रेणी के 10 शहरों के लिए, जिनकी जनसंख्या एक लाख या उससे कम है, एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत योजनायें बनाकर केन्द्र को भेजी गई। इनमें से पाली, चूरू, भीलवाड़ा, सुमेरपुर, सीकर, नाथद्वारा एवं बारां की योजनाय स्वीकृत हो चुकी हैं।

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं जैसे नल, बिजली, सड़क आदि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष नगर विकास न्यास, जोधपुर कोटा, उदयपुर, जयपुर एवं बीकानेर को 1971 से पूर्व विद्यमान कच्ची बस्तियों के विकास के लिए 60 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

आवासन की बढ़ती हुई समस्या को हल करने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अब तक लगभग 15,000 मकान आवंटित किये जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह आशा की जाती है कि लगभग 10,000 मकान लॉटरी द्वारा आवंटित/आरक्षित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। इनमें लगभग 1,500 मकान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। यही नहीं, इस वर्ष 7 अन्य शहरों में नये पंजीकरण की योजना फरवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 तक हाथ में ली गई है। 1981-82 में लगभग 10,000 मकान बनाये जाने की सम्भावना है जिनमें से लगभग 3,000 मकान जयपुर की मालवीय नगर योजना में बनाये जायेंगे।

भूमि के अभाव में जयपुर का नगर विकास न्यास कई वर्षों से जन-साधारण की

(२५)

आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। परन्तु इस वर्ष मालवीय नगर योजना में लगभग 1,800 भू-खण्ड आवंटित कर इसने एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है।

नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं में सिवरेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों, अग्नि शमन में कार्य करने वाले अधीनस्थ सेवारत कर्मचारियों एवं बिजली की लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को, प्रति व्यक्ति पांच हजार रुपये की ग्रुप बीमा योजना के अधीन लिया गया है। बीमा के प्रीमियम की राशि नगर परिषद् एवं नगरपालिका स्वयं वहन करेगी।

राज्य के ग्रामीणों को भी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खेतिहर मजदूर, कारीगर एवं लघु व सीमान्त कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल 8.54 लाख परिवारों को 150 वर्ग गज के आवासीय भू-खण्ड निःशुल्क आवंटित किये गये हैं। लगभग 50,000 परिवारों द्वारा स्वयं के साधनों से कच्चे, पक्के मकान निर्मित कराये जा चुके हैं। राज्य के आवासविहीन परिवारों को मकान उपलब्ध कराने हेतु 1980-81 में 10,000 मकान बनवाने का लक्ष्य है।

आवासीय योजना का अधिकतम लाभ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पहुंचाने के उद्देश्य से 1980-81 के ग्रामीण आवासीय योजना हेतु बजट प्रावधान में से लगभग 50 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जातियों एवं 10 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जनजाति उप योजना हेतु आवंटित की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन दिनों सीमेन्ट, डीजल, केरोसिन और चीनी का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बिजली के भीषण संकट के बावजूद डीजल की व्यवस्था सुचारु रूप से किए जाने के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले कृषि व उद्योग दोनों में उत्पादन को यथोचित सहारा मिला है।

लेवी चीनी के वितरण में भारत सरकार द्वारा रेलवे से ही प्राप्त करने की शर्त समयानुसार वितरण में प्रमुख बाधा है, जिसके लिए छूट प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है अगले माह तक लेवी चीनी तथा फ्री-सेल चीनी दोनों ही यथोचित मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी।

हाल ही में उद्योगों के लिए केरोसिन की कीमत की केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति (आम लोगों के लिए 1.70 रु. प्रति लीटर तथा उद्योगों के लिए 3.62 रु. प्रति लीटर) से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। इस पर भारत सरकार से परामर्श कर उचित व्यवस्था के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

इस वर्ष तीन नयी समन्वित बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाती माताओं को पूरक पोषाहार के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, प्रतिरोधक टीके, पूर्वशाला प्रशिक्षण एवं कार्यात्मक शिक्षा जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

राज्य में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना की गई है। 1980-81 में इस निगम की राज्य हिस्सा पूंजी के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लघु एवं घरेलू उद्योगों व व्यवसायों के लिए सहकारी, व्यवसायी व राष्ट्रीयकृत बैंकों, विभिन्न संस्थाओं एवं निगमों से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। निगम को अधिक सशक्त व सक्रिय बनाने हेतु उसके प्रबन्ध निदेशक पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी लगाया गया है।

पिछड़ी जाति क्षेत्र में 1980-81 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 13 नये छात्रावास प्रारम्भ किये गये एवं 2 और नये छात्रावास खोलने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सामान्य विकास योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो, इस दृष्टि से "कम्पोनेन्ट प्लान" बनाया गया है जिसके अन्तर्गत सभी विभागों की योजनाओं में इन जातियों के विकास हेतु अलग से प्रावधान किए गए हैं। 1980-81 में 40.10 करोड़ रु. का प्रावधान है। भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति की योजनाओं के लिए 2.47 करोड़ रु. उपलब्ध कराये हैं।

अत्याचारों से त्रस्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने हेतु 5 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है और इतनी ही राशि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होगी। उत्पीड़न के शिकार इन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से 5 लाख रु. जिलाधीशों को आवंटित कर दिये गये हैं।

अशक्त एवं असहाय वृद्धों को दी जाने वाली पेन्शन का लाभ उठाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। 1979-80 में 62,742 व्यक्तियों को इस पेन्शन का लाभ प्राप्त हुआ और 190.29 लाख रु. व्यय हुये। 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत 330 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है।

राज्य सरकार ने अशक्त एवं असहाय वर्गों को दी जाने वाली पेन्शन के संशोधित नियमों के अनुसार 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की विधवाओं को भी यह लाभ पहुंचाने का निश्चय किया है। विकलांगों को दी जाने वाली पेन्शन के लिये भी निर्धारित आयु 18 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दी गई है। जयपुर, अजमेर व उदयपुर में पहले से, विकलांग पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं व इस वर्ष जोधपुर में भी केन्द्र खोला जा चुका है व कोटा में भी इसी प्रकार का केन्द्र शीघ्र ही खोला जायेगा। विकलांगों के पुनर्वास प्रशिक्षण व्यवसाय एवं कृत्रिम अंगों को उपलब्ध कराने हेतु सवाई मानसिंह अस्पताल में कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र संस्थान के भवन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है।

1981 का वर्ष "अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष" घोषित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, व्यवसाय, शिक्षा एवं कृत्रिम अंग सुलभ कराने की विशेष योजनायें तैयार की जा रही हैं। 1980-81 में विकलांग छात्र-छात्राओं को 8 लाख रु. की छात्रवृत्तियां वितरित करने की योजना है।

पूर्व में, विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु रिक्त स्थानों के विरुद्ध पात्रता के क्षेत्र को इस वर्ष बढ़ाकर रिक्त स्थानों का 5 गुना कर दिया गया है। इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों पर पदोन्नति के अवसर अधिक प्रशस्त हो जायेंगे।

जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिये चालू वर्ष में, 46.53 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष अनुसूचित जन जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को दीवानी तथा राजस्व मुकदमों में कानूनी सहायता देने का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। इसी तरह आदिवासी विकलांगों के लिये कृत्रिम अंग व क्षय रोगियों के लिए इलाज व पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 5 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। 3 नये आश्रम-स्कूल तथा 5 नये लघु स्वास्थ्य केन्द्र आरम्भ किये जायेंगे एवं 4 नये लघु स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण-कार्य आरम्भ किये जायेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में जनजाति के छात्र व छात्राओं को पोशाक व पुस्तकें नि:शुल्क वितरण करने का भी प्रावधान रखा गया है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में इस वर्ष 19 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 4 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए व 15 'सी' श्रेणी के छात्रावास अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए हैं।

राजस्थान में पर्यटन विस्तार की विपुल सम्भावनाएं हैं व इस हेतु सतत प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में आने वाले स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष में 23 लाख स्वदेशी एवं 1.95 लाख विदेशी पर्यटक आये थे जब कि इस वर्ष में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 24.50 लाख एवं 2.05 लाख हो जाने की सम्भावना है। पर्यटकों की सुविधा हेतु इस वर्ष दो नये पर्यटक सूचना केन्द्र खोले गये व 1981-82 में चार नये पर्यटक सूचना केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह इस वर्ष दो पर्यटक विश्राम-गृह भी खोले गये। सरकार सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछेक कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी अन्य जगहों पर दी जा चुकी है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि में से जो शेष भूमि अब भी आवंटन के योग्य है, उसका द्रुत गति से आवंटन किया जायेगा। इसी तरह 1975 में लागू किए गए बन्धक श्रमिक प्रथा समाप्ति कानून के अनुसरण में समस्त मुक्त बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास किया जाएगा। अब फिर नये सिरे से ऐसे बन्धक श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उनकी मुक्ति व पुनर्वास की प्रक्रिया को भी द्रुत गति से पूर्ण करने हेतु सम्पूर्ण राज्य में शीघ्र ही एक अभियान चलाने का प्रस्ताव है जिससे कि यह कु-प्रथा शीघ्र ही पूर्णतः समाप्त हो सके।

मुझे यह कहते हुए बड़ा सन्तोष है कि गत 12 महीनों में राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति सामान्यतः सन्तोषजनक रही और अपराधों पर नियंत्रण रहा। 1980 के प्रथम 6 माह में जहां अपराधों

में कुछ वृद्धि हुई थी, वहीं 1980 के अन्तिम 6 माह में लोकप्रिय सरकार के गठन के पश्चात् इस वृद्धि पर पूर्ण नियन्त्रण पा लिया गया है। अन्तिम 6 महीनों में 1978 व 1979 की उक्त अवधि की तुलना में अपराधों में कमी आई है। डकैती उन्मूलन के अन्तर्गत चम्बल घाटी क्षेत्र में कई डकैत गिरोहों को समाप्त करने एवं प्रमुख डकैतों को सीधी मुठभेड़ में मार गिराने में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गत एक वर्ष में राज्य में संगठित तरीके से हरिजनों पर अत्याचार का कोई मामला नहीं हुआ और न ही जातिभेद के कारण हरिजनों एवं सवर्णों के बीच कहीं कोई तनाव पैदा हुआ। ऐसे किसी भी मामले में पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने का अवसर नहीं आया व प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव भी बना रहा। असामाजिक तत्वों एवं गुण्डों के विरुद्ध विशेष अभियान चला कर कार्यवाही की गई और अवैध हथियारों को खोज निकालने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया। अब तक 12 कुख्यात गुण्डों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं जिनमें से 11 को बन्दी बनाया जा चुका है।

गत वर्ष पुलिस को अधिक सशक्त, सक्षम बनाने एवं आधुनिक उपकरणों से सज्जित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये गये। पुलिस कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1980-81 में अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु 49 क्वार्टर एवं 200 कर्मचारियों हेतु बैरक्स सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई जिस पर 42.13 लाख रुपये व्यय होंगे। 8 पुलिस स्टेशनों एवं एक आर. ए. सी. बटालियन के भवन निर्माण पर 13.32 लाख रुपये व्यय होंगे।

दो नये पुलिस रेन्ज अजमेर एवं भरतपुर में स्थापित किये गए हैं और मेवाड़ भील-कोर में भी तीन नई कम्पनियों का सृजन किया गया है। सभी पुलिस स्टेशनों पर क्रमबद्ध तरीके से वाहन उपलब्ध कराने के निर्णय के अनुसरण में इस वर्ष 20 पुलिस स्टेशनों को जीप उपलब्ध कराने के आदेश किये गये हैं। इसी तरह 20 पुलिस स्टेशनों पर टेलीफोन देने के भी आदेश किये गये हैं।

जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार को सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से राज्य के समस्त पुलिस कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण देने की एक वृहद् योजना तैयार की गई है जिसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्य में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या 31 मार्च, 1980 को 2,75,294 थी जो माह अक्टूबर, 1980 में बढ़ कर 2,95,122 हो गई। इस प्रकार राज्य में लगभग प्रति माह 3,000 नये वाहन पंजीकृत हो रहे हैं।

राज्य में अक्टूबर, 1980 तक यात्री वाहनों/बसों के 6,497 अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं जिनमें से 2,400 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1981-82 में 327 नये वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष के अन्त तक निगम के पास 2,520 वाहन हो जायेंगे। यात्री सुविधाओं के लिए 10.40 लाख

रुपये निर्धारित किये गये हैं और इस प्रकार चालू वर्ष एवं 1981-82 की अवधि में क्रमशः 30 एवं 100 यात्री शालिकाएं (शैड्स) विभिन्न स्थानों पर बनाई जायेंगी।

राज्य में प्रशासन को शुद्ध और सक्षम बनाने के प्रयत्न भी जारी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 1980 के दौरान 151 प्राथमिक जांचें पंजीबद्ध कीं। इनमें 132 राजपत्रित अधिकारी लिप्त थे। इनके अतिरिक्त वर्षारम्भ में विचाराधीन जांचों को मिलाकर 144 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें से 54 जांचों में आरोप प्रमाणित पाये गये। 1980 में न्यायालय में सिद्ध दोषों के आधार पर 12 सरकारी कर्मचारियों को दण्डित किया गया व इसी वर्ष में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की सिफारिश पर चली विभागीय जांच से कुल 28 राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी दण्डित किये गये।

इस प्रदेश के द्रुत विकास की आवश्यकताएं तो अधिक हैं मगर राज्य व केन्द्र सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप से योजना आयोग द्वारा 2,025 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई है। यह पांचवीं योजना 136 प्रतिशत अधिक है। इस प्रावधान की आधी से अधिक राशि अर्थात् लगभग 52 प्रतिशत सिंचाई एवं विद्युत विकास कार्यक्रमों के लिए है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए कुल राशि का 19.1 प्रतिशत, सहकारिता सहित कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए 17.2 प्रतिशत यातायात एवं संचार हेतु 6.7 प्रतिशत तथा उद्योग एवं खनिज विकास के लिये 4.1 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 110.60 करोड़ रुपयों का प्रावधान राज्य योजनान्तर्गत किया गया है। इस राशि के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत 100.60 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में और प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 17 करोड़ रुपये राज्य योजनान्तर्गत उपरोक्त राशि में सम्मिलित हैं। आशा करनी चाहिये कि अगले पांच वर्षों में इस बढ़ी हुई धनराशि से राज्य के सर्वतोमुखी विकास का मार्ग और प्रशस्त होगा।

जैसा मैंने आरम्भ में कहा, यह सत्र मुख्यतः आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श के लिए आहूत किया गया है। किन्तु लोकहित में, माननीय सदस्यों को आवश्यक विधायी कार्य भी करना होगा। राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981, राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण)(संशोधन) विधेयक, 1981, राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत) अधिवासियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 1981, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981, राजस्थान भू-अर्जन (संशोधन) एवं विधिमान्यकरण विधेयक, 1981, मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981,

राजस्थान लोक सेवा यान अधिग्रहण विधेयक 1981, कपास ओटाई और दवाई कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 और राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों व आगामी वर्ष के कतिपय कार्यक्रमों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वास्तव में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास सरकार जनता व जन-प्रतिनिधियों के मिले-जुले सहयोग से ही सम्भव है, अतः मैं समस्त जन-प्रतिनिधियों एवं जनता का इस प्रक्रिया में सहयोगी व भागीदार बनने के लिए आह्वान करता हूं व आशा करता हूं कि आप इस सत्र में अपने कर्तव्यों को भली-भांति निभायेंगे।

जयहिन्द !